

>

Title: Regarding need to discuss on the issue of price rise.

अध्यक्ष महोदया : मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज सुबह मुझे नियम 184 के तहत चर्चा कराने हेतु नोटिसेज मिले हैं जिसमें नेता, प्रतिपक्ष का भी नोटिस है। मैं उन्हें एजामिन कर रही हूँ।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी): मैडम, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया : मैं वही कह रही हूँ कि मुझे नोटिस मिले हैं, आपका भी नोटिस मिला है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैडम, मुझे आपसे केवल एक ही बात कहनी है कि कल आपने एक रुलिंग देकर हमारे एडजर्नमेंट मोशन को स्वारिज कर दिया। आप पीठ पर हैं और हमारे लिए पीठ सर्वोच्च होती है। मैं आपकी रुलिंग के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं कर सकती और न करना चाहूँगी। मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि हमें उस रुलिंग से दुःख पहुंचा और निराशा हुई। आपने अंत में यह कहा कि यदि हम किसी और नियम के तहत नोटिस दें तो उसे कंसीडर किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने नियम 184 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया। लेकिन नियम 184 के नोटिस के साथ हम लोगों ने एक कवरेज लैटर भी दिया और पृथक्काल स्थगन का एक और निवेदन किया। एडजर्नमेंट मोशन न मानने के कारण से पिछले तीन दिनों से चर्चा नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज का पृथक्काल स्थगित करके नियम 184 का नोटिस ले लें, हम उसमें चर्चा आज प्रारंभ कर दें जिससे सदन चल जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैडम, हमने भी नोटिस दिया हुआ है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, आज नियम 184 के तहत चर्चा कराने के लिए और पृथक्काल के सस्पेंशन के लिए हमने भी नोटिस दिया है। कल हम लोग सरकार से गुहार लगाने आए थे और पूणव बाबू जी से भी हमने बहुत गुहार लगाई तथा आपसे हमने बहुत गुहार लगाई। हम जब बाहर जाते हैं तो जनता हमसे कहती है कि आप क्या कर रहे हैं और यहां जब आते हैं तो सरकार भी दुतकारती है तथा कहती है कि हम चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं। जिस तरह से कल एडजर्नमेंट मोशन का हमने नोटिस दिया था, उसे आपने स्वारिज कर दिया। हमारी रक्षा और सुरक्षा की कोई जगह है तो वह आपके यहां हैं। एक वर्ष हो गया, आपका प्रेम पूणव बाबू की तरफ तो खूब झलकता है लेकिन हम लोगों की तरफ आपकी दया कभी नहीं होती। कल आपने फैसला दे दिया। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि रात भर पूरे अपोजीशन के लोग सो नहीं पाए हैं। हम लोग सोचते रहे कि क्या करें? यानी अब अध्यक्ष जी से कैसे लड़ें? अध्यक्ष जी तो सर्वोच्च हैं, उनसे लड़ना तो मुश्किल है, उनसे कैसे लड़ा जाए? इसी बात पर हम लोग बहुत विचार मंथन करते रहे और किसी तरह से हम लोग नियम 184 लाए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कल आपके फैसले से जनता को भी बहुत तकलीफ हुई है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अभी पृथक्काल सरपेंड करिए। बाहर हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए मेरी फिर आपसे करबद्ध विनती है कि आप नियम 184 के तहत चर्चा कराने के लिए तो मान ही जाइए। आपने खुद कल कहा था। अब एडजर्नमेंट मोशन की धारा बिल्कुल बेकार ही हो गई है।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): मैडम, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया : मैंने कहा है, आपने नोटिस दिया है। आप बोल सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : यह तो कहीं रूल नहीं है कि आप मेरे बाद नहीं बोल सकते हैं। आप मेरे बाद बोल सकते हैं।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): मैडम, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया : उनको बोलने दीजिए। फिर आप भी बोल लेना। आपको भी बुलवाएंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि हम किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते।...(व्यवधान) हम हर वक्त यह बात कहते रहते हैं कि हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं और कल इसी बात पर डेढ़ घंटा चर्चा हो गई। यही बात सभी सदस्यों ने कल कही और मालूम नहीं शरद यादव जी कैसे यह बात कह रहे हैं। 27 तारीख को श्री सुदीप बंदोपाध्याय और श्री राय ने दो नोटिसेज नियम 193 में दिये हैं। उन नोटिसेज के तहत चर्चा आप आज ही करवा सकते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : आप सरासर असत्य बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

वेद।(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, हम शांत तरीके से सदन चलाना चाहते हैं। हम सदन में किसी प्रकार की अशांति नहीं चाहते हैं। आप जिस जगह बैठी हैं, वहां से देख रही हैं कि सरकार कभी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि हमने अपनी पार्टी की तरफ नोटिस दिया है। जैसे हम अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए, यह बीच में खड़े हो गए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको भी बुला रहे हैं।

ॐॐ!(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हमें अपनी बात कहने का हक है, आप समय देंगी तो अच्छा है और अगर नहीं देंगी तो और तरीका अपनाएंगे, सीधी बात है। शरद यादव जी ने नोटिस दिया, हमने नोटिस दिया है। अब हम लोग एक राय के हो चुके हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है जब ऐसे समय पूरा विपक्ष एक राय का हो। अंदर से ये लोग भी बहुत चाहते हैं, सुनना चाहते हैं...(व्यवधान) आपके विल्लाने से क्या हो जाएगा? मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस विषय पर सबसे पहले नियम 184 के अधीन चर्चा कराएं। हम इसके लिए लगातार परसों से मांग कर रहे हैं। अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता तो आज सदन का यह हाल नहीं होता। अगर सदन नहीं चल पा रहा है तो सरकार जिम्मेदार है। महोदया, आप सरकार की जिम्मेदारी मत लीजिए। आप क्यों सरकार की जिम्मेदारी ले रही हैं? आप तो कुर्सी पर बैठी हैं। स्पीकर हमेशा विपक्ष को संरक्षण देते हैं। ये बात नहीं मानेंगे और हर तरह से मनमानी करेंगे। हम चाहते हैं कि नियम 184 के अधीन चर्चा करायी जाए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही चले।

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, हमने भी नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदया : आपका नोटिस नहीं है।

ॐॐ!(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : हर काम नियम और कानून से होता है। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ। कल से चर्चा हो रही है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब पूंन काल शुरू होने दीजिए।

ॐॐ!(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : लोकसभा नियम और कानून से चलती है। हमने कल भी नोटिस दिया था...(व्यवधान) नियम और कानून तो देश की जनभावना के लिए बनते हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नियम 184 की एक प्रकिया है, उसे एग्जामिन कर लेने दीजिए। अगर हम इसे एडमिट कर लेते हैं तो यह बीएसी के सामने जाएगा। आप उतना समय दीजिए और बैठ जाइए।

ॐॐ!(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : देश की गरीब जनता की पीड़ा से बड़ा कानून नहीं है। हमारी मांग है कि सारा कामकाज बंद करके पहले नियम 184 के अधीन चर्चा कराई जाए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब पूंन काल चलने दीजिए। धन्यवाद।

ॐॐ!(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, इस सदन में सबसे पहले महंगाई विषय को लेकर चर्चा होगी। अगर हमारा काम रोको प्रस्ताव स्वारिज हो गया है तो नियम 184 लीजिए क्योंकि विषय तो वही है, लेकिन आप कह रही हैं कि अभी महंगाई के मुद्दे को छोड़कर पूंन काल चलने दिया जाए...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : हम इसे नियम 193 के अधीन ले चुके हैं...(व्यवधान) 27 तारीख को दो नोटिस नियम 193 के अधीन आ चुके हैं क्योंकि वे नोटिस पहले नियम 193 में आ चुके हैं इसलिए उसमें चर्चा हो जानी चाहिए। ...(व्यवधान) हम चर्चा की बात कह रहे हैं और ये रूल की बात कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया : पूंन काल शुरू करने दीजिए।

ॐॐ!(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महंगाई की चर्चा के सिवाय कोई दूसरा काम इस सदन में नहीं होगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : पूंन काल तो शुरू करने दीजिए।

ॐॐ!(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सबसे पहले महंगाई पर चर्चा होगी। हमने नियम बदल दिया है। हमने आपकी रूटिंग के बाद स्थगन प्रस्ताव छोड़ दिया। आप नियम 184 के अधीन चर्चा कराइए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप भी जानती हैं कि मुझे इसे देखकर निर्णय लेना है। अगर उसे एडमिट किया जाएगा तो वह बीएसी के सामने जाएगा। आप सब कुछ जानती हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : देश का सबसे बड़ा प्रश्न महंगाई है।... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: हम चर्चा की बात कहते हैं ये रूल की बात कहते हैं।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Q. No. 61.

...(Interruptions)

11.14 hrs.

-

At this stage, Shri Mithilesh Kumar, Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

...(Interruptions)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 noon.

11.15 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Madam Speaker in the Chair)

...(Interruptions)

12.0¼ hrs.

At this stage, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

â€¦(व्यवधान)

12.0½ hrs.

-

*At this stage, Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members
came and stood on the floor near the Table*

-

â€¦(अवधान)